

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
—:: मंत्रालय ::—
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक 566 / PFMS / ब-4 / चार,
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03/08/2021

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि विमुक्ति की संशोधित प्रक्रिया ।
संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय का ज्ञाप. क्र. 245 / PFMS / ब-4 / चार,
दिनांक 22.06.2021 एवं 434 / PFMS / ब-4 / चार, दिनांक 16.07.2021

-----000-----

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु राशि विमुक्ति (Release of Funds) एवं विमुक्त निधियों की निगरानी के लिये संशोधित प्रक्रिया दिनांक 01.07.2021 से लागू हो गई है। संदर्भित ज्ञाप दिनांक 16.07.2021 के द्वारा PFMS-SPMU द्वारा तैयार किये गये Performance Indicators में जानकारी भरकर 03 दिवस के भीतर PFMS-SPMU एवं संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराये जाने का लेख किया गया था।

PFMS-SPMU द्वारा अवगत कराया गया है कि किसी भी कार्यालय से उक्त प्रारूप में जानकारी प्रदान नहीं की गई है। अतः पुनः अनुरोध किया जाता है कि संदर्भित ज्ञाप दिनांक 16.07.2021 में प्रदान किये गये प्रारूप में यथाशीघ्र जानकारी प्रदान करें।

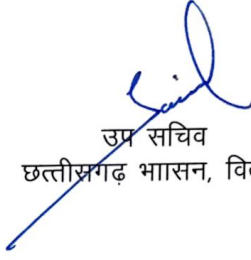
साथ ही PFMS-SPMU द्वारा अवगत कराया गया है कि किसी भी विभाग द्वारा नवीन प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध नहीं किया गया है। संदर्भित ज्ञाप दिनांक 202.06.2021 की कंडिका 3(13) के अनुसार आवश्यकता अनुसार तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण PFMS-SPMU द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अतः विभागों से अनुरोध किया जाता है कि आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता हेतु PFMS-SPMU से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करें तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी से संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को अवगत करावें।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 567/PFMS/ब-4/चार,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03/08/2021

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय को सूचनार्थ।
2. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा प्राप्त जानकारी समेकित कर प्रतिमाह 15 तारीख एवं अंतिम तिथि को वित्त विभाग को अवगत कराने हेतु।
3. राज्य नोडल अधिकारी (एस.पी.एम.यू.) पी.एफ.एम.एस., प्रथम तल, ब्लॉक-1, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग